भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1217
गुरुवार, 1 अगस्त, 2024/10 श्रावण, 1946 (शक)

मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार के अवसर

1217. श्री मुजीबुल्ला खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के पास राष्ट्रीय औसत की तुलना में मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के बीच वर्तमान रोजगार दर के आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (ख): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

पीएलएफएस सर्वेक्षण का दायरा धार्मिक समूहों पर विशेष ध्यान दिए बिना सभी घरों में था, नमूना डिजाइन विशेष रूप से विभिन्न धार्मिक समूहों के अनुरूप नहीं बनाया गया था।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने मुसलमानों और अल्पसंख्यकों सहित देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि अलग-अलग कार्यान्वित कर रहे हैं। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय जैसी रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), आदि शामिल है। रोजगार सृजन को बढ़ावा के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****